

प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में व्यक्ति की भूमिका

(Role of an Individual in Conservation of Natural Resources)

प्रा. एन. व्ही. नरुले

भूगोल विभाग प्रमुख

इंदिरा महाविद्यालय, कलंब, जि. यवतमाळ. (महा.)

संसाधन का अर्थ :—

वह तत्व या स्रोत जो मानवीय उद्देश्यों तथा आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है, संसाधन कहलाता है। संसाधन मनुष्य के लिए उपयोगी होता है और मानवीय उपयोगिता ही संसाधन का विशिष्ट गुण है। वास्तव में कोई भी वस्तु या तत्व अपने आप में संसाधन नहीं है, बल्कि मनुष्य के लिए उसकी उपयोगिता ही उसे संसाधन बना देती है। सामान्य अर्थ में संसाधन का अभिप्राय केवल मूर्त या गोचर पदार्थों से लगाया जाता है किन्तु अनेक अमूर्त तत्व जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, संसाधन की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। मूर्त (दृश्य) तत्वों में भूमि, जल, वन, मिट्टी, खनिज पदार्थ, कृषि उपजें, औद्योगिक उत्पादन, कारखाने, भवन, सड़कें आदि प्रमुख हैं।

प्राकृतिक संसाधन :—

प्रकृति द्वारा उत्पन्न वे समस्त तत्व या तत्व समूह जो मनुष्य के लिए उपयोगी हैं, वह प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। भूमि, जल, मिट्टी, खनिज, शैले, उर्जा, प्राकृतिक वनस्पती, पशु तथा आकस्मीजन आदी प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण हैं। प्राकृतिक संसाधन किसी देश काल में मानव सभ्यता की प्रगती की आधारशिला होते हैं। किसी भी देश के प्राकृतिक संसाधन उसकी आर्थिक धुरी होते हैं।

प्राकृतिक संसाधनों के (दोहन) अपव्यय :—

संसाधन संरक्षण एवं संसाधन प्रबंध का एक अंग है। संसाधन प्रबंध किसी संसाधन के कुशल नियंत्रण तथा व्यवस्थापन से सम्बंधित होता है जो वर्तमान सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं, उपलब्ध प्रौद्योगिकी, भावी उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण आदी को ध्यान में रखते हए संचालित होता है। संसाधन संरक्षण का सिद्धांत किसी देश काल में विद्यमान प्राकृतिक संसाधन आधार और जनसंख्या के मध्य संतुलन का प्रतिपादन करता है। जिसमें वर्तमान सामाजिक आर्थिक प्रगती के लिए विद्यमान संसाधनों के उचित तथा सर्वोत्तम उपयोग के साथ ही उन संसाधनों की सतत आपूर्ति भविष्य में भी बनाये रखने की दृष्टि से इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि वर्तमान उपयोग में उनका दुरुपयोग, अपशिष्टीकरण तथा अनावश्यक शोषण या विदोहन न्युनतम हो। इस प्रकार संसाधन संरक्षण का अर्थ संसाधनों के अनुकूलतम् या अभीष्टतम् उपयोग (Optimum use) से है। भविष्य में भी संसाधन का उपयोग सातत्य और सुनिश्चित हो। संसाधन संरक्षण का उद्देश्य अनावश्यक तथा अंधाधुंध प्रयोग अथवा अवाक्षित दुरुपयोग को कम करके उसके समुचित उपयोग से है जिससे वर्तमान के साथ ही भविष्य में भी उसका प्रयोग सतत बना रह सके।

बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध से अंतिम तीन दशकों से संसाधन संरक्षण की समस्या गंभीर हो गयी है। जनसंख्या में तिव्र वृद्धि, प्राद्योगिकीय क्रांति, औद्योगिकरण, भौतिकवादी अर्थप्रधान जीवन दर्शन तथा उच्च जीवन स्तर के प्रती लोलुपतामें तिव्र वृद्धि आदी के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध शोषण किया गया है, जिससे असंख्य जैव अजैव संसाधन या तो सदा के लिए विनष्ट हो गये हैं। प्राकृतिक संसाधनों का अतिशोषण तथा विनाश और पर्यावरण प्रदूषण सम्बंधी समस्याओंने भयकर रूप धारण कर लिया है जो सम्पूर्ण मानव जाति के अस्तित्व के लिए खतरा तथा चुनौती बन गयी है।

मनुष्य में भौतिकवादी दृष्टिकोण तथा विश्वव्यापी आर्थिक लूट (Economic plunder) के चलते अनेक वन्य जन्तु मानव का शिकार बनते जा रहे हैं। पौधों तथा पशु-पक्षियों की कितनी प्रजातीयां विलुप्त हो चुकी हैं और कितनी विलुप्त होने के कगार पर हैं। औद्योगिक कच्चे माल तथा शक्ति संसाधन की प्राप्ति के लिए कई खनिज एवं शक्ति संसाधनों का अंधाधुंध खनन किया गया जिससे अनेक खनिज भंडार या तो समाप्त हो गये हैं या कुछ ही वर्षों में समाप्त होने वाले हैं।

वर्तमान परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधनों के अपव्यय, अतिशोषण तथा पर्यावरण प्रदूषण को रोकने, संसाधनों के समुचित तथा अनुकूलतम उपयोग और भविष्य में भी संसाधनों की आपूर्ति बनाये रखने आदी उद्देश्यों से संसाधनों का संरक्षण आधुनिक मानव समाज की अनिवार्य आवश्यकता है। इसके माध्यम से वर्तमान मानव जीवन के साथ ही भविष्य को भी संवारा जा सकता है और संसाधन अभाव तथा पर्यावरण अवनयन या परिस्थितिकीय असंतुलन से उत्पन्न होने वाली त्रासदी से मानव जाती को बचाया जा सकता है। संसाधन संरक्षण में सरकारी एजेंसियों तथा गैर सरकारी संगठनों के साथ ही व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।

प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में व्यक्ति की भूमिका :-

१) जानकार व्यक्ति पर्यावरण के महत्व, पर्यावरण प्रदूषण तथा वन विनाश आदी से होने वाली हानियों से अपने संपर्क में आने वाले लोगों तथा समाज को अवगत कराये और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता उत्पन्न करने का यथा संभव प्रयत्न करें।

२) संसाधन संरक्षण के लिए बनाये गये कानूनों तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं के विषय में संम्बंधित विभाग या पुलिस को सुचित करना चाहिए जिससे उन्हें दण्डित किया जा सके।

३) कृषक मृदा अपरदन को रोकने के लिए वृक्षारोपन, मेंढबंदी करने, परती भूमि पर घास लगाने, समोच्चरेखी जुताई करने और अतिचारण को रोकने जैसे विधियों को अपना सकता है।

४) प्रत्येक व्यक्ति अपने घरें, व्यावसायिक दूकानों तथा कार्यालयों में बिजली का उपयोग आवश्यकतानुसार ही करे। दिन में बल्ब न जलाये और रात में भी बल्ब की जगह ट्यूब लाइट जलाये क्योंकि बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन मानी जाती है।

५) नगरों में जलापूर्ति की समस्या निरन्तर विकट होती जा रही है। व्यक्ति का कर्तव्य है की वह जल को बेकार न बहाये और पेयजल का उपयोग बगीचे आदी की सिंचाई के लिए कम से कम अथवा न करे। नल की टोटीयों से जल रिसाव को रोकना तथा जल के वर्ष्य बहाव को रोकना व्यक्ति का परम कर्तव्य है।

६) व्यक्ति को चाहीए कि वह बाजार से सामान लाने के लिए पालीथिन के थैलियों के स्थान पर कागज के थैलों तथा कपड़े या जूट के बने थैलों का उपयोग करे। दूकानदार भी पालीथिन के स्थान पर कागज के थैलों का उपयोग करें।

७) व्यक्ति वन्य पशुओं या पक्षियों विशेषरूप से संरक्षित प्रजाती के प्राणियों का शिकार कदापि न करे क्योंकि उनके विलुप्त होने का खतरा है।

८) प्रत्येक व्यक्ति को चाहीए कि वह अपने घर के आगे-पीछे या अन्य खाली पड़ी भूमि पर उपयोगी वृक्ष (पौध) लगाये और कभी भी हरे वृक्षों को न काटे।

९) वर्षा जल के संचय के लिए घर के छत पर एकत्रित जल को पाइप द्वारा नीचे लाकर भूमि में निर्मित जलभण्डार या सोखते में गिराया जा सकता है। इससे भौम जल स्तर ऊपर उठेगा।

१०) भोजन पकाने के लिए प्रेशर कुकर का प्रयोग करने से ७५ प्रतिशत तक ऊर्जा की बचत की जा सकती है। भोजन पकाने के लिए गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों जैसे बायोगैस, सौर ऊर्जा (सोलर कुकर) आदी का प्रयोग ऊर्जा संरक्षण में सहायक है।

संदर्भ :-

- १) पर्यावरण अध्ययन — डॉ.एस.डी.मौर्य/श्रीमती रालिन, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद.
- २) पर्यावरण भूगोल — प्रो.सविन्द्र सिंह, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद.
- ३) पर्यावरण और पारिस्थितिकी — डॉ.बी.पी.राव/डॉ.वी.के.श्रीवास्तव, वसुंधरा प्रकाशन, गोरखपुर
- ४) The Nature of Environment -- Basic Blackwell Publisher Ltd., 1984